



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 128/2015

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

लादू पुत्र धन्ना वगै.
-----वादी

♠बनाम♠

बालू पुत्र छगना जाति जाट
निवासी कणोज तहसील केकडी
जिला अजमेर वगै.

-----प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम अन्तिम डिक्री

प्रारम्भिक डिक्री दिनांक:- 29.6.2015

अन्तिम डिक्री आदेश दिनांक 25.6.2018

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 25.6.2018 पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर बतौर सहमति के किसी प्रकार का एतराज प्रकट नहीं किया है। अतः ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता नम्बर 316 में वर्णित आराजी का पक्षकारान में निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बालू पि. छगना कौम जाट सा.देह खातेदार राहिन एसबीआई बघेरा	212	0.26	बारानी द्वि. बारानी उत्तम	1.04
		816	0.99		10.89
		कुल 2	कुल रकबा 1.25		11.93
2	जीतराम पि. बन्नालाल कौम जाट सा.किशनपुरा	212/1	0.27	बा.द्वि. बा.उ.	1.08
		816/1	0.98		10.78
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.55		11.86

नोट:- प्रार्थी/वादी लादू के द्वारा बेचान किये जाने से आराजीयात में वादी के स्थान पर जीतराम पुत्र बन्नालाल कोम जाट सा.किशनपुरा हेतु श्री जीतराम पुत्र बन्नालाल के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 (2)जा. दी. सपटित धारा 151 जा.दी. का पेश किया है। जिसे शामिल पत्रावली किया ।

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का कुल सरह लगान 24.00 रुपये के 35 गुणा से 840 रुपये का 5 प्रतिशत से 42 रुपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे ।

आदेश आज दिनांक 25.6.2018 को पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी